

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT

Mohammad Asif मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

PUBLIC WEB SERVICE**CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****देवनारायण छात्रा स्कूटी |dce.rajasthan.gov.in****देवनारायण प्रोत्साहन राशि योजना**

1. इस योजना के तहत 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीया वर्ष में 10000 रुपये वार्षिक
2. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 20000 रुपये
3. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर द्वितीय वर्ष 20000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
4. योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/ अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगी।

देवनारायण छात्रा स्कूटी पात्रता

- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो राजस्थान की रहने वाली होंगी।
- छात्रों के माता पिता या पति की वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ और विवाहित, अविवाहित तथा अन्य छात्राओं के लिए होगा।
- 12वीं तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

देवनारायण छात्रा स्कूटी जरूरी कागजात

- | | |
|---|--|
| 1. राजकीय महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय | 5. माता पिता की आय का सर्टिफिकेट। |
| महाविद्यालय संस्कृत में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की | 6. छात्रा के बैंक की पासबुक। |
| प्रमाणित कॉपी। | 7. आधार कार्ड। |
| 2. परीक्षा की मार्क लिस्ट। | 8. फोटो। |
| 3. मूल निवास प्रमाण-पत्र जो अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। | 9. छात्रा ने कहीं और किसी छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो उसकी कॉपी। |
| 4. जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी जाति प्रमाण पत्र। | |

राजस्थान देवनारायण स्कूटी ऑफलाइन आवेदन

1. इसके लिए आपको आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर उसमें एक अपना फोटो चिपकाकर तथा जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं।
2. उनको साथ में लगाकर अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को देना होगा।
3. जो भी **DATE** आपकी निर्धारित होगी ध्यान रहे प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्र का नाम पिता का नाम कक्षा संकाय तथा प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

राजस्थान देवनारायण स्कूटी भुगतान प्रक्रिया

- कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर में प्राचार्य से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर राजकीय महाविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्रतिशत के अनुसार सूची बनाकर प्रथम 1000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी बाकी छात्राओं के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

राजस्थान देवनारायण स्कूटी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड|Devnarayan Scooty Yojana Rajasthan**Application Form 2020 राजस्थान देवनारायण स्कूटी लिस्ट**